SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समग्र विश्लेषण

अरविन्द रावत, शोधार्थी, दृष्टिबाधितार्थ विभाग, विशेष शिक्षा संकाय,
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

अरविन्द रावत, शोधार्थी, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
विशेष शिक्षा संकाय,
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 26/02/2022
Revised on : -----
Accepted on : 05/03/2022
Plagiarism : 02% on 28/02/2022

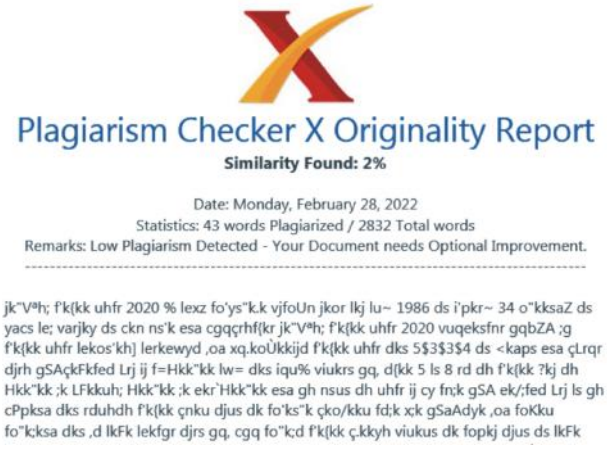
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 2%

Date: Monday, February 28, 2022
Statistics: 43 words Plagiarized / 2832 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

jk"V^h; f'k{kk uhfr 2020 % lexz fo'ys"k.k vjfoUn jkor lkj lu~ 1986 ds i'pkr~ 34 o"kksaZ ds yacs le; varjky ds ckn ns'k esa cgqçrhf{kr jk"V^h; f'k{kk uhfr 2020 vuqeksfnr gqbZA ;g f'k{kk uhfr lekos'kh] lerkewyd ,oa xq.koÙkkijd f'k{kk uhfr dks 5$3$3$4 ds <kaps esa çLrqr djrh gSAçkFkfed Lrj ij f=Hkk"kk lw= dks iqu% viukrs gq, d{kk 5 ls 8 rd dh f'k{kk ?kj dh Hkk"kk ;k LFkkuh; Hkk"kk ;k ekr`Hkk"kk esa gh nsus dh uhfr ij cy fn;k gSA ek/;fed Lrj ls gh cPpksa dks rduhdh f'k{kk çnku djus dk fo'ks"k çko/kku fd;k x;k gSaAdyk ,oa foKku fo"k;ksa dks ,d lkFk lekfgr djrs gq, cgq fo"k;d f'k{kk ç.kkyh viukus dk fopkj djus ds lkFk

शोध सार

सन् 1986 के पश्चात् 34 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद देश में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुमोदित हुई। यह शिक्षा नीति समावेशी, समतामूलक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा नीति को 5+3+3+4 के ढांचे में प्रस्तुत करती है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को पुनः अपनाते हुए कक्षा 5 से 8 तक की शिक्षा घर की भाषा या स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही देने की नीति पर बल दिया है। माध्यमिक स्तर से ही बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया हैं। कला एवं विज्ञान विषयों को एक साथ समाहित करते हुए बहु विषयक शिक्षा प्रणाली अपनाने का विचार करने के साथ विद्यालय स्तर पर एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने, शिक्षा में नवाचार व शोधों को बढ़ाने पर बल एवं 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी प्रदान करने का लक्ष्य है। प्राथमिक से उच्च शैक्षिक स्तरों पर संरचनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करने की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है।

मुख्य शब्द

शिक्षा नीति, समावेशन, समतामूलक, त्रिभाषा सूत्र, बहु विषयक.

सन् 1948–49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना जिसने उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित सिफारिशें की, 1952–53 में माध्यमिक शिक्षा हेतु मुदालियर आयोग का गठन हुआ और 1964–66 में कोठारी आयोग बना, जिसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाते हुए प्राथमिक स्तर से उच्चत्तर स्तर की सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तनों पर ध्यान केन्द्रित कराया। जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य

शिक्षा देने व शिक्षकों की योग्यता एवं उनके प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की बात करते हुए त्रिभाषा सूत्र लागू करने एवं केंद्रीय बजट का 6 प्रतिशत धन राशि आवंटित करने का आह्वान किया गया। इसके बाद 1986 शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त शैक्षिक असमानताओं विशेष रुप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों एवं महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। इसी नीति में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त खुला विश्वविद्यालय प्रणाली को विस्तार दिया गया। 1992 में इस शिक्षा नीति को संशोधित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को देशव्यापी आधार प्रदान करना था। इस समिति के बाद शिक्षा क्षेत्र का अंतिम महत्वपूर्ण कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था जो 1 अप्रैल 2010 को कानून स्वरूप पूरे देश में लागू किया गया। इसके बाद नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु डॉ. कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यों की समिति का गठन किया गया, जिसने ड्राफ्ट बनाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति मंत्रालय को मई 2019 को सौंप दिया, जिस पर स्वतंत्र रूप से सुझावों को आमंत्रित कर दिनांक 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत् विकास लक्ष्य एजेंडा 2030 के अनुसार, सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने व जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पुनर्गठन करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त समस्त वैश्विक परिदृश्य में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने हेतु, तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में बदलाव की भी जरूरत महसूस की गयी, साथ ही शिक्षा में नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा देने या गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु भी नई शिक्षा की आवश्यकता है। आधुनिक प्रतियोगी समय में प्रतिपल बदलते रोजगार के अवसरों के लिए मात्र रोजगार पाने के लिए ही व्यक्ति सीखने की कोशिश करता है, अब यह सीखने–सिखाने की कला सतत् रूप से चलाने की आवश्यकता है, जिसके लिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने पर जोर न देकर, समस्या समाधान सिखाने तथा तार्किक एवं संरचनात्मक रूप से सोचने की प्रवृत्ति को बच्चों में उत्पन्न करने और उन्हें सक्षम बनाने पर जोर देने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है ताकि हम शिक्षा के वैश्विक मानकों को स्वीकार कर सकें।

'सीखने की नींव' के रूप में 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' की व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा 10+2 है जिसमें 3–6 वर्ष के बच्चे शामिल नहीं हैं। पहले की नीतियों के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को सीधे कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। नई शिक्षा नीति के 5+3+3+4 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ढांचे में अब बच्चा औपचारिक शिक्षा की शुरुआत मात्र 3 वर्ष में कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के 85 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है इसलिए यह अवस्था बच्चों की उचित मानसिक विकास व शारीरिक वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण मानी गई है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे सामाजिक–आर्थिक रूप से अलग–अलग पृष्ठभूमि के होने के कारण अपने बाल्यावस्था में गुणवत्ता पूर्ण देखभाल और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कोई बच्चा औपचारिक शिक्षा से वंचित न रह सके इसके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। इसकी पहुंच देश के प्रत्येक बच्चे तक हो सकती है यदि इसे 2030 से पूर्व सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पूर्व ही बच्चे विद्यालय शिक्षा हेतु पूरी तरह से तैयार हो सकेंगें। प्रस्तावित ढांचे 5+3+3+4 में 3–8 वर्ष के बच्चों के लिए फाऊंडेशनल स्टेज अर्थात् (आधारभूत अवस्था), जिसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष (3–6वर्ष की आयु) व कक्षा 1–2 वर्ष (6 से 8 वर्ष की आयु), 8–11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रीपेटरी स्टेज (कक्षा 3–5), 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मिडिल स्टेज (कक्षा 6–8), 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9–12) सम्मिलित है। प्रस्तावित ढांचे 5+3+3+4 को नीचे सारणी में प्रदर्शित किया गयाः

नया ढांचा	अवस्था/चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउन्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आंगनबाड़ी/नर्सरी (प्री प्राइमरी)
-	फाउन्डेशन स्टेज	6 से 8 वर्ष	कक्षा 1 से 2
3	प्रीपेटरी स्टेज	8 से 11वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	मिडिल स्टेज	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	सेकेंडरी स्टेज	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संरचनात्मक सुधारों के साथ 'बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान' प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित बच्चों में से बहुत सारे बच्चों को अभी भी हिंदी भाषा का पाठ पढ़ना एवं मूलभूत जोड़–घटाव का ज्ञान तक नहीं है। इस समस्या के निदान हेतु कक्षा 3 तक के प्रत्येक छात्र को आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का ज्ञान हो जाए, की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करने, अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के लिए वर्तमान में संचालित 2 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम को बदलकर 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. करने का सुझाव दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र को इसी नीति के द्वारा जारी रखते हुए कक्षा 5 से 8 तक की शिक्षा का माध्यम बच्चों की घर की भाषा या मातृ भाषा या स्थानीय भाषा होगी, की सिफारिश भी की गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों का अनुपात 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य 2030 तक सुनिश्चित किया गया है, 2018 के अंतर्गत यह 26.3 प्रतिशत (अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे पत्रिका के अनुसार) था। लोगों तक उच्च शिक्षा को पहुंचाने हेतु ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (दूरस्त शिक्षा) कार्यक्रम जैसे विकल्पों की मौजूदगी के साथ संस्थानों की पुनः संरचना की बात भी की गई है। इसी नीति में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला शोध विश्वविद्यालय होगा, जो शोध क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा, दूसरा शिक्षण विश्वविद्यालय यह केवल शिक्षण कार्य कराएगा, तीसरा स्नातक स्तर की शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के साथ डिग्री प्रदान करने का भी काम करेगा। 3000 से अधिक छात्रों वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को बहु विषयक विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार हेतु प्रत्येक जिले में या जिले के पास बहु विषयक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की नीति अपनाई जाएगी। पाठ्यक्रम के रूप में गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, एवं मानविकी आदि विषयों को एकीकृत कर भविष्य बनाने की योजना है। ऐसे संस्थानों को धीरे–धीरे पूर्ण अकादमिक प्रशासनिक व वित्तीय सहायता की ओर उन्मुख किये जायेगें। साथ ही इस नीति के द्वारा अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को काफी लचीला बनाया गया है, अर्थात् कोई व्यक्ति किसी कारणवश जैसे आर्थिक समस्या होने या स्वास्थ संबंधी कोई गंभीर बीमारी होने व दुर्घटना का शिकार होने पर उसे बीच में पढाई छोड़नी पड़ जाती है तो वह स्नातक प्रथम वर्ष के अंत पर एक प्रमाण पत्र लेकर दूसरे वर्ष में प्रवेश ले सकता है। दूसरे वर्ष के अंत में डिप्लोमा के साथ, तीसरे वर्ष के अंत पर स्नातक डिग्री के साथ एवं चौथे वर्ष के अंत पर शोध की डिग्री के साथ स्नातक को समाप्त कर सकता है।

उच्चतर शिक्षा पर निगरानी करने हेतु 'भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग' को गठित किया जाएगा, जिसके चार भाग होंगे जो क्रमशः उच्चतर शिक्षा हेतु एक साझा व एकल बिंदु विनियामक, दूसरा विभिन्न संस्थानों को मान्यता देने का, तीसरा अनुदान प्रदान करना व चौथा स्नातक परिणामों के आधार पर उसे शिक्षा हेतु आपेक्षित परिणाम निर्धारित करने का कार्य करेगा। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा में नवाचार एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए देश की कुल जीडीपी का 6 प्रतिशत धन आवंटित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। इससे पहले भी जीडीपी का 6 प्रतिशत धन व्यय करने हेतु कोठारी आयोग और 1986, शिक्षा नीति में भी अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान में हमारे देश में शोध कार्य पर निवेश को निवेश जीडीपी का मात्र 0.69 प्रतिशत ही है जो अमेरिका के 2. 8 प्रतिशत, साउथ कोरिया के 4.2 प्रतिशत और इजरायल के 4.33 प्रतिशत आदि देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है

(अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे पत्रिका के अनुसार)। शोध कार्यों को वित्तीय सहायता देने, गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य पर निगरानी एवं संचालन के लिए एक स्वतंत्र 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' की स्थापना की बात की गई है। साथ ही उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों व प्रतिष्ठानों को विदेशों में अपनी शाखाएं संचालित करने व विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं को अपने देश में संचालित करने का अवसर प्रदान करने पर भी विचार किया गया है। इस कार्य से हमारे देश में वैश्विक स्तर की शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करने व उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। भारत में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 5 प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो यूएसए 52 प्रतिशत, जर्मनी 75 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया 96 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक कम है। इस क्षेत्र में उन्नति करने व प्रोत्साहित करने हेतु व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा जिससे अगले 10 वर्षों में विद्यालय एवं उच्च शिक्षा लेने वाले लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की उन्नति व बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की व्यवस्था की जाएगी जैसा कि कोरोना महामारी के दौर में देखा जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा देश में लगभग 9 से 10 माह तक पूर्ण रूप से बाधित हुई है, भविष्य में ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए डिजिटल शिक्षा पर अत्याधिक बल देने की कोशिश की जाएगी।

त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा पहली बार कोठारी आयोग (1964–66) की सिफारिशों में किया गया था। 1986 की शिक्षा नीति में पुनः इसे दोहराया गया जिसे अब नई शिक्षा नीति में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रखा गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों के निवासियों के द्वारा इस फार्मूले का विरोध करने का कारण है कि अंग्रेजी व उनकी क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा पढ़ने एवं शिक्षण कार्य करने हेतु बाध्य किया जाना और उनके ऊपर हिंदी भाषा को थोपने जैसा है, इसलिए त्रिभाषा सूत्र का विरोध इन राज्यों द्वारा होता रहा है जो कि नीति के क्रियान्वयन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जबकि इस प्रकार के विरोध को कम करने या सीमित करने के लिए इस नीति में त्रिभाषा सूत्र को लेकर कुछ लचीलापन अपनाते हुए यह व्यवस्था की गई है कि कक्षा 5 तक घर की भाषा या स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही शिक्षा कार्य किए जाए, जिससे बच्चे बाल्यावस्था में वैश्विक भाषा अंग्रेजी को भी सीखेंगे। ऐसे स्थानों के बच्चों के लिए जहां स्थानीय व मातृभाषा अलग–अलग हैं उन स्थानों पर त्रिभाषा सूत्र को क्रियान्वित करने पर कुछ व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों व दुविधाओं से निपटने के लिए भाषा चयन की स्वतंत्रता, बच्चों व उनके अभिभावकों पर छोड़ दिया गया है। इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास नीति के द्वारा किया गया है। नई शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों में से दूसरी प्रमुख चुनौती आर्थिक संसाधनों के व्यवस्था करने से संबंधित हैं। जैसा कि पिछले 5 दशकों में शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो पूर्ण नहीं हो सका। 2017–18 में शिक्षा पर देश की जीडीपी का 4.43 प्रतिशत धन खर्च किया जा सका है इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे संकल्प और प्रस्ताव इस नीति में किए गए हैं जिन्हें वास्तविक रूप देने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षा की व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की बात की गई है। प्राथमिक स्तर पर डिजिटल शिक्षा प्रदान करना आसान कार्य नहीं होगा। इसके लिए व्यापक डिजिटल संरचना स्थापित करने की आवश्यकता होगी। हमारे देश में आजादी के बाद से ही एक ही विषय संकाय की शिक्षा ग्रहण की जाने की प्रथा रही है इसके विपरीत नई शिक्षा नीति में बहु विषयक प्रणाली की शुरुआत करना सरल कार्य नहीं होगा। इसके लिए बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करनी होगी जिससे बहु विषयक पद्धति को बच्चे समझ सके साथ ही उसे अपनाने का प्रयास करे। इसके लिए लोगों को जागरूक करना स्वयं में बड़ा लक्ष्य होगा, बड़े पैमाने पर शिक्षकों और अभिभावकों को भी मानसिक रूप से इस प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार करना होगा, साथ ही समस्त शैक्षणिक अवसंरचना को बहु विषयक पद्धति के अनुरूप परिवर्तित करना और उसे देश के प्रत्येक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सुचारू रूप से क्रियान्वित करना अपने आप में एक साहस पूर्ण और आमूल चूल परिवर्तन होगा जो आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है जिस पर निर्णय लेना केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र है ऐसे में पूरे देश में इस नीति को लागू करवाना भी केंद्रीय सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी

विशेष रुप से उन राज्यों में जहां राजनीतिक नेतृत्व इस नीति के प्रावधानों या प्रस्तावों से असहमति होगी।

निष्कर्ष

सतत् विकास, समावेशन एवं समतामूलक लक्ष्यों को अपनाते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 एक अच्छी योजना है, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी। जिस प्रकार यह शिक्षा नीति शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, उसमें नवाचार करने, अनुसंधान के क्षेत्र को नए आयाम तक पहुंचाने व बहु विषयक पद्धति को अपनाने से लेकर डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा स्तर तक सार्वभौमिक करने की बात करती है जो व्यावहारिक रूप से आसान नहीं होगा, एक साधारण प्रस्ताव नहीं हो सकता। इससे पूर्व की शिक्षा नीतियों में कला, संगीत, क्राफ्ट, आदि विषयों को अतिरिक्त या सहायक परिचर्या के अंतर्गत स्थान प्राप्त था इस नीति में इन्हें मुख्य विषयों के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। पूर्व में रोजगार हेतु कौशल संबंधी पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के उपरांत प्राप्त होते थे, किंतु इस नीति के अंतर्गत बालक कक्षा 6 से ही इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व शैक्षिक नीतियों में कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की अपेक्षा कमतर या कमजोर मानने की प्रवृत्ति लोगों में विद्यमान थी, परंतु अब कला विषय का विद्यार्थी विज्ञान के किसी भी विषय को और विज्ञान का विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार कोई भी कला विषय को चुनकर अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकता है। यह बहु विषयक पद्धति की शुरुआत अपने आप में सराहनीय व अद्वितीय है। शिक्षा नीति कई मायनों में आदर्श नीति दिखती है, हालांकि इसके सुचारू रूप से क्रियान्वयन से ही इसके आदर्श नये भारतीय शिक्षा की व्यवस्था और प्रगति में परिलक्षित हो सकते हैं। नयी शिक्षा नीति के प्रस्तावन में बाबा साहब अंबेडकर जी की बात को उधृत किया गया है "मुझे लगता है यह एक अच्छा संविधान है लेकिन इसका बुरा होना भी निश्चित है अगर वह लोग जो इस पर काम करेंगे बहुत बुरे होंगे। वहीं पर यदि इस पर काम करने वाले लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह बहुत अच्छा हो सकता है।" वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि यह शिक्षा नीति भी लागू करने वालों पर ही निर्भर करेगी की यह कैसी है।

सन्दर्भ सूची

1. जांगिडे, का एवं एजाज, उ.(एन.डी.) नई शिक्षा नीति–2020:21वीं सदी का सम्यक विजन। https://www.sites.google.com/view/shaikshikunmesh-khs
2. मीना, आर. एम. (2020, अगस्त 21).राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के जरिये उच्च शिक्षा क्षेत्र में क्रन्तिकारी परिवर्तन https://www.prabhasakshi.com/politics-articles/unique- initiatives-have-been-taken-in-the-field-of-higher-education-in-nationa-education-policy-2020
3. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. (एन.डी.) समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत https://www.educational.gov.in/shishakpar/infagraphics/equitable_and_inclusion_learning_for_all_hi.pdf
4. राय, एच. (2020, अगस्त 07).न्यू नेशनल एजुकेशन पालिसीरू नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली को मिलेगा नया आयाम https://www.jagran.com/editorial/apnibat-indian-education-system-will-get-a-new-dimension-under-the-new-education-policy-jagran-special-20601111.
5. यागी, ए. एम. (2020, अक्टूबर 04).राष्ट्रीय शिक्षा नीतिरू समग्र विश्लेषण. दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, अंक 64(04), पृ. सं 12–15.
6. त्रिपाठी, पी. (2020, सितम्बर 21).राष्ट्रीय शिक्षा नीतिरू समता मूलक समावेशन स्वरुप https://www.bachapanespress.com/education/—625440.

****